न्यायालय : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सं0 90/1997
(राज0उप0 अधि0 की धारा 11/14)

पेमाराम पुत्र श्री धर्माराम जाति नायक निवासी 65 एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

शिकायतकर्ता

बनाम

1. हिम्मताराम } पिसरान श्री नानक राम
2. डूॅगरराम }
3. पोकर राम पुत्र श्री कालूराम
4. चौथूराम पुत्र अजीताराम

अकवाम नायक सकनाए तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

अप्रार्थीगण

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11/14 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम

उपस्थित :

श्री जगमोहन आहूजा, राजकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से
अप्रार्थी की ओर से कोई हाजिर नहीं।

आदेश दिनांक : 12–07–2017

शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 25–02–1995 को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसका सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं0 1 व 2 के पिता को चक मालासर तहसील नोखा जिला बीकानेर में बारानी भूमि करीबन 50–00 बीघा आवंटन है। उक्त जमीन को छिपाकर दोनों भाईयों ने अपने आप को भूमिहीन बता कर बीस साला के आधार पर चक 65 एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर में 50–00 बीघा भूमि नहरी गलत तरीके से आवंटन करवाई है। अप्रार्थी सं0 4 ने अपने भाई को अपने पिता की फैमली व अपनी अलग से परिवार के सदस्यों में धोखाधड़ी से दिखा कर 50–00 बीघा नहरी भूमि चक 63 एन0पी0 तहसील रायसिंहनगर में मुरब्बा नं0 12 के 24–10 बीघा व अपने भाई राधाकिशन पुत्र अजीताराम के मुरब्बा नं0 16 के 12–10 बीघा भूमि व मुरब्बा नं0 17 के 12–10 बीघा भूमि अपने परिवार के सदस्यों की संख्या गलत दिखाकर अलॉट करवाई है। इसी गॉव के अप्रार्थी सं0 3 ने किसी अन्य व्यक्ति के नाम से एक मुरब्बा नहरी सं0 5 अवैध तरीके से अलॉट करवा रखा है। इस प्रकार निवेदन किया है कि गलत रूप से आवंटन करवाई गई भूमि की जॉच कराई जावे।

उक्त शिकायत के संबंध में तहसील से रिपोर्ट एवं रेकार्ड प्राप्त किया गया। राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई हाजिर नहीं हुआ है।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस शिकायत प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर आधारित करते हुए कहा कि अप्रार्थीगण द्वारा तथ्यों को छिपा कर गलत आवंटन करवाया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा धारण की जा रही भूमि सीमा से अधिक है। अतः अधिक भूमि को बहक सरकार रिज्यूम किया जाना चाहिये।

राजकीय अधिवकक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि तहसील रिपोर्ट क्रमांक विविध/87 दिनांक 23–12–87 के अनुसार **अप्रार्थी सं0 1 हिम्मताराम के नाम चक 65 एन0पी0 में कोइ भूमि नहीं है।** अप्रार्थी सं0 1 के नाम से चक 65 एन0पी0 के मु0 नं0 23 की 6.072 है0 रकबा नहरी बतौर रिफ्यूजी आवंटन है। उक्त रकबे पर प्रार्थी स्वंय काबिज है।

तहसीलदार, नोखा ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक टीएन/राजस्व/88/586 दिनांक 8–8–88 द्वारा अवगत कराया है कि **तहसील नोखा में मालासर नाम से कोई राजस्व ग्राम नहीं है।**

जमाशुदा आवंटन पत्रावली चक 65 एन0पी0 का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 14–4–61 के आदेश से हिम्मताराम पुत्र नानक राम जाति नायक निवासी 65 एन0पी0 को मुरब्बा नं0 23 की 24–00 बीघा बारानी भूमि अलॉट की गई है।

इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध तहसील रिपोर्ट के अनुसार चक 65 एन0पी0 में मुरब्बा नं0 23 की 24–00 बीघा नहरी भूमि बतौर रिफ्यूजी आवंटन है। तहसीलदार, नाखा की रिपोर्ट के अनुसार तहसील नोखा में मालासार नाम से कोई राजस्व ग्राम नहीं है। इसके अलावा पत्रावली पर ऐसा कोई सारवान अभिलेख उपलब्ध नहीं है, जिससे उपरोक्त भूमि के अलावा शिकायत में वर्णित भूमि होने की पुष्टि होती हो। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी मनफूल के धारण में चक 65 एन0पी0 के मुरब्बा नं0 23 की 24–00 बीघा नहरी भूमि बतौर रिफ्यूजी आवंटन है। अतः ऐसी स्थिति में शिकायत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुष्टि नहीं होने के कारण शिकायत खारिज होने योग्य है।

निष्कर्षतः शिकायतकर्ता की शिकायत सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की एक प्रति तहसीलदार, रायसिंहनगर को एवं आदेश की एक प्रति मय रेकार्ड विधि परीक्षण हेतु विधि प्रकोष्ठ को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 12–7–17 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/7/17

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)